जल शक्ति मंत्रालय
MINISTRY OF JAL SHAKTI
DoWR, RD & GR

Har Ghar Jal
Jal Jeevan Mission

जल जीवन मिशन

जल जीवन मिशन के अर्न्तगत सामुदायिक योगदान

पंचायत प्रतिनिधि तथा ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का प्रशिक्षण

प्रायोजक: लोक स्वास्थ यांत्रिकी विभाग

ESTD. 1978

कार्यान्वयन एजेंसी:

के.आर.सी. - स्टूडेंट्स रिलीफ सोसायटी

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सामुदायिक योगदान

किसी भी कार्य में ग्राम वासियों की व्यक्तिगत भागीदारी व अपनापन उस कार्य की सफलता में एक खास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं यह भी दिखा दिया है कि जहां पर समुदाय की भागीदारों नहीं होती है अथवा कम होती है, उन गांवों में कार्यक्रम कम सफल होते है। कार्यक्रम का लाभ ग्रामवासियों की जिन्दगी में ज्यादा समय तक नहीं दिखता है और ये कार्यक्रम लम्बे समय तक समाल को प्रभावित नहीं कर सकते है।

जिस कार्यक्रम में ग्रामवासी व्यक्तिगत भागीदारी निभाते हुए अपना तय अंशदान देते हैं उन कार्यक्रमों के प्रति उनमें अपनत्व का भाव होता है। वे इसकी की देखरेख में भागीदारी करते है, और रखरखाव के लिए तत्पर रहते हैं उसके लिए अंशदान देने के लिए राजी होते हैं यह कार्यक्रम लंबे समय तक ग्राम वासियों के अनुकूल बने रहते हैं उनके जीवन को भी प्रभावित करते हैं और उनके अपने गांव में खुशहाली लाते हैं इसलिए जल जीवन परियोजना में भी ग्राम वासियों द्वारा नगद अथवा वस्तु के रूप में अंशदान देने का प्रावधान रखा गया है। प्रमुख व्यवस्थाऐं निम्नवत है।

1. जल जीवन मिशन में पर्वतीय प्रदेशों, हिमालयी प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों व जहा 50% से अधिक एससी अथवा एसटी आबादी वाले है वहां समुदाय द्वारा पूंजीगत अंशदान का 5% नगद या वस्तु के रूप में और या श्रम के रूप में दिया जाएगा और अन्य अन्य गांव में पूंजी लागत का 10% अंशदान लिया जाएगा।

2. यहां अंशदान अंश पूंजी लागत एवं सचालन और रखरखाव दोनों लागतों में देना होगा अंशदान की मात्रा का निर्धारण लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग इंजीनियर द्वारा परियोजना की कुल लागत निकालने के बाद ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति / पानी समिति की बैठक में किया जाएगा समिति यह विचार कर सकती है कि गरीब, निर्धन, दिव्यांगजन, विधवा जिनकी आय का कोई नियमित स्रोत नहीं है. से व्यक्तिगत अनुदान अंशदान ना दिया जाए हालाकि यह नियम के बजाय एक अपवाद है।

3. समुदाय द्वारा एकमुश्त नगद भुगतान के बोझ को कम करने के लिए ग्राम पंचायत या पानी समिति यह निर्णय ले सकती है कि परिवार किस्तों में अंशदान का भुगतान करें स्थानीय संस्थाओं, परोपकारी व्यक्तियों सामुदायिक संगठनों द्वारा दिए जाने वाले अपदान को परियोजना की लागत में दिए गए योगदान के रूप में माना जाएगा।

4. योजना के रखरखाव के लिए समिति द्वारा निर्धारित अंशदान ग्राम वासियों द्वारा जमा किया जाना होगा। बाद में परियोजना सफल होने पर 10 प्रतिशत के बराबर की धनराशि प्रोत्साहन राशि के रूप में समिति को वापस दी जा सकती है।

5. सांसद द्वारा किए गए योगदान को केंद्रीय सहायता के तौर पर और एमएलए द्वारा दिए गए योगदान को राज्य सहायता के रूप में माना जाएगा स्थानीय स्वयं सहायता समूह द्वारा दिया गया योगदान सामुदायिक अंशदान का अप माना जाएगा

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजनाओं का संचालन व रख–रखाव

पेयजल एवं स्वच्छता सेक्टर समुदाय की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित पेयजल योजना में निरंतरता तथा उसके अपनत्व भावना विकसित के परियोजना प्रारम्भ गयी तहत ग्रामीण समुदाय आवश्यकतानुसार अलग अलग तकनीकी विकल्पों में उपयुक्त तकनीकी का चयन करने से लेकर पेयजल योजना के संचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी स्वयं लेता है।

समुदाय आइ.एस.ए./ विभाग की सहायता प्रत्येक एवं स्वच्छता संचालन रखरखाव के लिए दिशा–निर्देश तैयार करेगी। इसमें सेवा शुल्क निर्धारण, परिवार से अवधि मनोनीत ग्राम रखरखाव कार्यकर्ता टेक्निशियन नाम, मासिक वेतन तथा रखरखाव एकत्र उत्तरदायित्व बिजली वन का कम कम किराया (यदि कोई हो.) तथा ग्राम रखरखाव कार्यकर्ता के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था आदि पर चर्चा कर अतिमीकृत किया जायेगा।

यह लगभग सर्वमान्य है कि सुचारू जलापूर्ति के लिये बनायी गयी पेयजल योजना का अच्छा संचालन रख–रखाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अच्छे संचालन का सीधा सम्बन्ध तकनीक व वांछित मानकीय कौशल से है। उचित रख–रखाव सुचारू संचालन का मूल आधार है। मोटे तौर से रख–रखाव के तीन अवयव हैं–

- ✓ छोट मरम्मत (minor repair)
- ✓ बडी मरम्मत (major repair)
- ✓ खराब हिस्सों को बदलना (Replacement)

इन तीनों बराबर ध्यान देना अच्छे रख–रखाव के लिये आवश्यक है।

पेयजल स्रोत एवं योजनायेंः संचालन एवं रखरखाव

इसके अन्तर्गत पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित विभिन्न घटकों जैसे –स्रोत,स्रोत कार्य, फिल्टरेशन कार्य, जलाशय, वितरण प्रणाली आदि के संचालन एवं रखरखाव से सम्बन्धित पहलू अलग–अलग दिये जा रहे हैं।

पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत पेयजल स्रोत सबसे महत्वपूर्ण घटक है। स्रोत में पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं उसकी गुणवता योजना की सफलता के लिए आवश्यक है। ग्राम स्तर पर समुदाय द्वारा स्रोत मापन,गुणवत्ता परीक्षण के साथ समय–समय पर जल संवर्धन हेतु आवश्यक उपाय भी किये जाने चाहिये।

स्रोत विभिन्न कार्यों संचालन रखरखाव सम्बन्ध में निम्न कार्यवाहियाँ हैं–

गुरुत्व योजनायेंः संचालन एवं रखरखाव

1. उत्तरांचल कूप

यह एक सरल तकनीक है अतः इसका संचालन एवं रखरखाव भी आसानी से किया जा सकता है–

- ✓ पानी का बहाव कम होने पर फिल्टर मीडिया को बदल दें।
- ✓ समय समय पर वासआउट पाइप के चेकनैट को खोलकर अच्छी तरह से सफाई करके जंग रोधी प्राइमर लगायें।
- ✓ कूप के आसपास निरन्तर साफ–सफाई की व्यवस्था करें।
- ✓ कूप के सिलेण्डर को गाड़ने से पूर्व अन्दर बाहर जंग रोधक प्राइमर लगायें।

2. बोल्डर फिल्ड गैलरी (बी.एफ.जी.)

इस संरचना में स्थित बोल्डर आदि से छनकर जल चैम्बर में पहुंचता है। गधेरे में अत्यधिक मिट्टी आदि से बोल्डर के चोक होने की संभावना रहती है। जिसके फलस्वरूप चैम्बरों में पानी की मात्रा लगभग

शून्य हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए इस सरचना की नियमित सफाई की आवश्यकता होती है। इसको ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कार्यवाही करें।

- ✓ बोल्डर फील्ड गैलरी के ऊपर बोल्डर्स में जमा पत्तियों घास–फूस, पेड़ की टहनियों, मिट्टी तथा अन्य अवांछित सामग्री जो पानी के साथ बहकर आयी है की सफाई कम से कम 3 माह में एक बार तथा वर्षा ऋतु से पूर्व एवं उपरांत अवश्य करें।
- ✓ चैम्बर की सफाई इनलेट, आउटलेट वाशआउट पाइप की सफाई, चैम्बर का ढक्कन एवं लॉकिंग अरेंजमेंट चेक करना एवं उन्हें ठीक करना, समस्त वाल्व को घुमा कर देखना कि उसका संचालन ठीक है अथवा नहीं।
- ✓ यदि उपरोक्त कार्यवाही के बावजूद इनटेक चैम्बर में पानी नहीं आ रहा है तो बोल्डर फील्ड गैलरी (बी.एफ.जी.) के ऊपर बोल्डर पैकिंग हटाकर परफोरेटेड पाइप के चारों ओर अच्छी तरह सफाई कर बोल्डर फिर से पूर्ववत् जमा दें।
- ✓ वर्षा ऋतु से पूर्व एवं उपरांत बी.एफ.जी. के ऊपर एवं नीचे बोल्डर पॅकिंग अथवा चैम्बर एवं दीवारों में हुई टूट–फूट की तुरन्त मरम्मत करें।

स्प्रिंग कलैक्टिंग चैम्बर / इनटेक चैम्बर

यह सामान्यतः स्प्रिंग स्रोतों पर बनाया जाता है। स्रोत पर अवस्थित इस चैम्बर की नियमित सफाई आवश्यक है अन्यथा पानी पर्याप्त मात्रा में सप्लाई मेन में नहीं पहुंच पायेगा। स्प्रिंग क्लैक्टिंग चैम्बर के संचालन एवं रखरखाव सम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्यवाही निम्नानुसार दी जा रही है–

- ✓ पानी एकत्र करने के लिए चैम्बर से पूर्व नाली में जमी बालू, मिट्टी, घास, पेड़ की टहनियों आदि की कम से कम 3 माह में एक बार सफाई
- ✓ चैम्बर में बालू अथवा अवांछित सामग्री की कम से कम 3 माह में एक बार सफाई चैम्बर एवं इसके वाशआउट (सफाई) पाइप में जमी आवांछित सामग्री एवं बालू आदि की कम से कम 3 माह में एक बार सफाई।
- ✓ चैम्बर से आउटलेट (वितरण) वाल्व एवं पाइप की कम से कम 3 माह में एक बार सफाई।
- ✓ वर्षा ऋतु से पूर्व एवं उपरांत चैम्बर एवं प्रोटेक्शन कार्यों की जांच टूट–फूट एवं मरम्मत कार्य

फिल्टर

- ✓ फिल्टर मीडिया के ऊपर जमी मिट्टी की परत आदि की सफाई कम से कम 3 माह में एक बार अवश्य करें।
- ✓ फिल्टर मीडिया को वर्ष में एक बार (वर्षा के बाद) पूर्ण रूप से बाहर निकालना एवं पानी से उसकी सफाई करने के उपरांत पुनः फिल्टर में भरें।
- ✓ यह सुनिश्चित करना चाहिये कि फिल्टरों के मेनहोल कवर पर लॉकिंग व्यवस्था सुचारु है।
- ✓ मेनहोल कवर पर यदि पेन्ट खराब हो गया है तो वर्ष में 1 बार कवरों पर पेन्ट अवश्य करें।
- ✓ फिल्टर पर लगे इनलेट, आउटलेट, ओवरफ्लो, वाशआउट पाईप की मरम्मत एवं वाल्व को खोल एवं बन्द कर अवश्य देखें।

सप्लाई / डिस्ट्रीब्यूशन मेन

- ✓ पूरी पाइप लाइन का कम से कम 3 माह में एक बार निरीक्षण एवं लीकेज आदि यदि हो तो उसकी मरम्मत करना एवं इसके विवरण को नोट करना।

- ✓ समस्त वाल्व चैम्बरों का कम से कम 3 माह में एक बार निरीक्षण एवं लीकेज आदि यदि हो तो उसकी मरम्मत एवं मरम्मत के विवरण को लेखबद्ध करना। एयर वाल्व से अगर पानी निकल रहा हो तो फ्लोट एवं रबर सीटिंग को खोलकर परीक्षण करें एवं इसे बदलें।
- ✓ स्कावर वाल्व को खोलकर पानी में एकत्रित मिट्टी, बालू इत्यादि को कम से कम 3 माह में एक बार साफ करें।
- ✓ ब्रेक प्रेशर टैंक, एन्कर, थ्रस्ट ब्लॉक तथा अन्य सुरक्षा कार्य का कम से कम 3 माह में एक बार निरीक्षण अवश्य करें।

जलाशय (सी.डब्ल्यू.आर.)

- ✓ स्वच्छ जलाशय में जमी मिट्टी को वाशआउट पाइप के माध्यम से वर्ष में एक बार सफाई अवश्य की जाये।
- ✓ सफाई के दौरान जलाशय के फर्श एवं दीवारों को ब्लीचिंग पाउडर के घोल से अवश्य साफ किया जाये।
- ✓ सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि जलाशय के मेनहोल कवर की लॉकिंग व्यवस्था हमेशा ठीक रहे।
- ✓ जलाशय में वेंटीलेटर के साथ वाशआउट में लगी मच्छर जाली की व्यवस्था ठीक हो।
- ✓ जलाशय में लगे इनलेट, आउटलेट, ओगरफ्लो, वाशआउट पाइप की मरम्मत एवं बाल्य को खोल एवं बन्द कर अवश्य देखें।
- ✓ जलाशय में उत्पन्न टूट–फूट एवं सीपेज/लीकेज की तत्काल मरम्मत की जाय
- ✓ जलाशय के ऊपर स्थित क्लोरीनेटर में प्रति सप्ताह ब्लीचिंग पाउडर निश्चित मात्रा में डालें। यह भी सुनिश्चित करें कि क्लारीनेटर पर लॉकिंग व्यवस्था सुचारु रहे।
- ✓ जलाशय की सफाई का अन्तराल एवं विधि तथा ब्लीचिंग पाउडर के प्रयोग की मात्रा एवं समय (प्रति सप्ताह) जलाशय की दीवार पर अंकित की जाये।
- ✓ मेनहोल कवर पर वर्ष में 1 बार कबरों पर पेन्ट अवश्य करें।

नलकूप

- ✓ नलकूप के मुहें पर कवर प्लेट अपने स्थान से हट गयी हो तो उसे सही स्थान पर लगा दें।
- ✓ नलकूप के चारों ओर भूमितल तक प्री ग्रेवल भरा होता है। कुछ समय बाद यह अन्दर चला जाता है अतः ऐसा होने पर प्री ग्रेवल भरते रहना चाहिये।
- ✓ बाईपास से निकलने वाले जल में यदि पहले से बालू आ रही है और 20 मिनट बाद पानी नहीं आ रहा है तो इसकी सूचना तुरन्त यू डब्ल्यू. एस.एस.सी. के सचिव या अध्यक्ष को देना चाहिये।
- ✓ स्राव कम हो जाने पर विशेषज्ञ मिस्त्री की सहायता लेनी चाहिये।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजनाओं का संचालन व रख–रखाव हेतु कार्यवाही एवं रखरखाव कार्यकर्ता की जिम्मेदारियां

समस्त ग्रामवासी मिलकर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक अथवा एक से अधिक टेक्नीशियन नियुक्त कर सकते हैं यह टेक्नीशियन स्वयंसेवक भी हो सकते हैं अथवा कुछ मासिक मानदेय पर भी तैनात किया जा सकता है। यहां पर यह कहना उचित होगा कि योजना के निर्माण के समय जिस प्लंबर अथवा राज मिस्त्री द्वारा कार्य किया गया उसे ही योजना के रखरखाव कार्यकर्ता के रूप में रखे जाने हेतु प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उसके आवश्यक टूल किट उपलब्ध कराया जाना चाहिये। इस व्यक्ति की जिम्मेदारी पूरी योजना का रखरखाव करना है एवं किसी प्रकार की खराबी होने पर का तुरंत निवारण करना होगा। योजना से पेयजल आपूर्ति न होने पर प्राप्त शिकायतों हेतु एक पंजिका भी रखी

जाए, जिसमें प्राप्त शिकायतों को दर्ज किया जाए। प्राप्त शिकायतों का रखरखाव कार्यकर्ताओं द्वारा तुरंत निवारण किया जाए तथा इस शिकायत पंजिका को समय–समय पर आम बैठक में भी रखा जाए रखरखाव कार्यकर्ता की निम्न जिम्मेदारियां होगी।

- प्रत्येक दिन आने वाली शिकायतों को दूर करना समय–समय पर पानी के स्रोत, ट्रीटमेंट यूनिट, पानी की टंकी/ जलाशय डिसटीब्यूशन ने के तथा घरों के नलों का निरीक्षण करना किसी किसी बड़ी समस्या के बारे में ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति को सूचित करना।
- यदि ट्रीटमेंट यूनिट लगाई गई है तो निर्धारित अवधि में उसकी सफाई करना, जल स्रोत के क्षेत्र को प्रदूषित होने से बचाना। यदि स्रोत वाटर रिचार्ज की व्यवस्था की गई हो तो उसकी समय–समय पर सफाई करना।
- रोगाणुनाशक रसायन क्लोरीन को निर्धारित अवधि में समुचित मात्रा में डालना घर के अंदर कनेक्शन में भी कभी–कभी क्लोरीन की मात्रा की जांच करना झ रखरखाव कार्यकर्ता के पास सभी प्रकार के टूल्स उपलब्ध होने चाहिए एवं अतृप्त पाठ सअतिरिक्त पार्टस भी उपलब्ध होनी चाहिए एवं उनका लेखा–जोखा समय पर ग्राम पंचायत को देना चाहिए।
- ग्राम वासियों से निर्धारित शुल्क प्राप्त कर बैंक खाते में जमा करना चाहिये, इसकी रसीद ग्राम वासियों को देनी चाहिये।
- जल ग्रहण क्षेत्र में बनाए गए रिचार्ज नालियों की सफाई बरसात से पहले करना चाहिए। जिससे उसमें अधिक मात्रा में बरसात का पानी इकट्ठा हो सके।
- बरसात के समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए अधिक से अधिक जल जमीन के अंदर जाए जिससे जलस्तर में बढ़ोतरी हो सके।
- समय–समय पर ग्राम वासियों को प्रत्येक घर के नल, पानी के स्रोत, पंपिंग स्टेशन और पानी की टकी, ट्रीटमेंट प्लांट, गांव में स्थित तालाब आदि की स्वच्छता का निरीक्षण करना चाहिए और सफाई अभियान चलाना चाहिए।
- समय–समय पर पानी की गुणवत्ता की जांच सरकार द्वारा निर्धारित प्रयोगशाला में करवानी चाहिए एवं इसकी चर्चा ग्रामवासियों के साथ करनी चाहिए।

ग्राम पंचायत/वी.डब्ल्यू.एस.सी. के दायित्व

- पेयजल योजना के प्रभावी संचालन एवं रखरखाव हेतु ग्राम स्तर पर ग्रामीण रखरखाव कार्यकर्ता के पद पर किसी कुशल व्यक्ति का उचित मानदेय पर चुनाव करना।
- ग्रामीण रखरखाव कार्यकर्ता के पास सक्रिय क्षमता वाली ब्लीचिंग पाउडर, एच टू एस स्ट्रिप तथा अन्य पेयजल गुणवत्ता परीक्षण सामग्री जैसे एफ०टी०के० इत्यादि की पर्याप्त मात्रा में केमीकल उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- पेयजल गुणवत्ता सम्बन्धी पहलुओं पर चर्चा एवं परिलक्षित त्रुटियों के निस्तारण हेतु ग्राम स्तर पर समुदाय के साथ विचार–विमर्श करना।
- गुणवत्ता परीक्षण रजिस्टर को नियमानुसार भरा जाना सुनिश्चित करना।
- सामान्यतः स्रोत पेयजल गुणवत्ता का परीक्षण वर्ष में एक बार अधिकृत प्रयोगशाला में करवाना।
- क्लोरीनेटर में ब्लीचिंग पाउडर का घोल नियमित अन्तराल में डालना (प्रति सप्ताह सामान्य तौर पर)।
- प्रत्येक माह अवशेष क्लोरीन की जाँच कर जाँच परिणामों को रजिस्टर में अंकित करना।

- यह सुनिश्चित करना कि अवशेष क्लोरीन 0.2 मि.ग्रा./लीटर प्राप्त हो रही है, नहीं मिलने की स्थिति में ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा में संशोधन करना।
- जल शोधन इकाइयों का सुचारु रूप से कार्य सुनिश्चित करना।
- सेवा शुल्क निर्धारण, प्रत्येक परिवार से एकत्र की जाने वाली देय राशि वसूली अवधि, गनोनीत ग्राम पेयजल योजना रखरखाव कार्यकर्ता का नाम, उसका मासिक वेतन / मानदेय, संचालन तथा रखरखाव राशि को एकत्र करने का उत्तरदायित्व बिजली का बिल, वन भूमि का कम से कम किराया (यदि कोई हो,) तथा ग्राम रखरखाव कार्यकर्ता के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था प्रमुख होंगे।

वी0डब्ल्यू०एस०सी० द्वारा संचालन एवं रखरखाव तंत्र की स्थापनाः

जलापूर्ति स्कीमों के समादेशन के बाद तकनीकि विभाग ओ०एण्ड एम० प्रणाली को अपने स्थान में ठीक ठाक व्यवस्थित करने के लिए वी0डब्ल्यू०एस०सी० को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगी। तकनीकि विभाग एवं समिति संचालन एवं रखरखाव तंत्र की स्थापना करने हेतु निन कार्यवाही करेगी

(I) आर्थिक तंत्र

क) परिसम्पत्तियों के ओ०एण्ड०एम० के लिए उदिष्ट निधियों और उनके अभिलेखों के समुचित लिए वहीखाता और लेखा विधि पद्वति की स्थापना करना। अनुरक्षण के लिए वहीखाता और लेखा विधि पद्वति की स्थापना करना।

ख) बिल जारी करने और धनसंग्रह करने के साथ ही धनसंग्रह की रसीद जारी करने के तंत्र की स्थापना करना।

ग) आरक्षित निधि का निर्माण, इस निधि का बैंक के फिक्स्ड डिपाजिट (अथवा किसी अन्य दीर्घकालीन डिपाजिट) में निवेश और एक समुदायव्यापी बैठक में अनुमोदन के बाद ही उसके निकाले जा सकने की विधि की स्थापना करना।

घ) भण्डार का रखरखाव, सामग्री की पावती और जारी करने का लेखा

(II) **संस्थागत तंत्र**

(क) पेयजल आपूर्ति के शुल्क संग्रह के लिए वी0डब्ल्यू०एस०सी० को संवेदनशील बनाना।
(ख) ब्रेकडाउन की शिनाख्त और रिपोर्ट करने के लिए शिकायत और संदर्भ के तंत्र
(ग) मरम्मत का काम हाथ में लेने के लिए सामग्री कय करने के कार्य का आवंटन।
(घ) निरोधक एवं सुधारात्मक रखरखाव के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण

(III) तकनीकी तंत्र

(क) जल के नियमित क्लोरीनीकरण का तंत्र
(ख) मरम्मत करने की जिम्मेदारी का निर्धारण
(ग) निरोधक एवं सुधारपरक रखरखाव तंत्रों की स्थापना।
(घ) जल गुणवत्ता की निगरानी का तंत्र तथा स्वच्छता सर्वेक्षण

i) कियान्वयन चरण समापन रिपोर्टों की अनुमोदित प्रति वी.डब्ल्यू.एस.सी./पंचायत को सौंपना

ii) जलापूर्ति के संचालन एवं रखरखाव तथा स्वच्छता तंत्र के उपनियमों को अंतिम रूप देना।

iii) वी.डब्ल्यू.एस.सी. को संचालन एवं रखरखाव विषयक स्कीम के विशिष्ट इंजीनियरी पहलुओं पर (जैसे क्लोरीनीकरण का मापन, अवशिष्ट क्लोरीन का मापन) दिशा–निर्देशों का समर्पण।

iv) वी.डब्ल्यू.एस.सी. द्वारा शुल्कों की मांग और संग्रह का रजिस्टर, पायती और भुगतान के डे–बुक, वी०डब्ल्यू०एस०सी० कार्यवृत्त पुस्तक आदि के रखरखाव को सुनिश्चित करना।

V) वी0डब्ल्यू०एस०सी० को विद्युत शुल्क और वनभूमि के लीज किराये (यदि लागू हो) की नियमित अदायगी के लिए सचेत करना।

प्रभावी ओ०एण्ड०एम० की स्थापना के लिए वी0डब्ल्यू०एस०सी० को निम्न सुझाव दिए जाते है :

क) वी0डब्ल्यू०एस०सी० को प्रत्येक परिवार से ओ एण्ड०एम० व्यय संग्रह करने के लिए मासिक/ त्रैमासिक मौसमी दरें तय करनी चाहिए। गांवो के डी०पी०आर० में दी गयी दरों से ये दरें कम न हो, यह वांछनीय है। प्रत्येक वसूली की समुचित रसीद जारी करना सुनिश्चित किया जाय।

ख) बी0डब्ल्यू०एस०सी० को चाहिए कि वह ओ०एण्ड एम० व्यय के भुगतान में विलम्ब करने वालों/ वादाखिलाफों के लिए एक दण्ड की पद्धति विकसित करे। बी0डब्ल्यू०एस०सी० को एक त्रैमासिक बैठक आयोजित कर उसमें उस क्षेत्र के निधि संग्रह का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। इसमें विभिन्न परिवारों से ओ०एण्ड०एम० के जमा न किए जाने की समस्याओं और उनके समाधानों पर चर्चा की जाय।

ग) ओ०एण्ड०एम० हेतु संकलित धन को बैंक खाते में जमा करना चाहिए और हाथ में न्यूनतम नकद रखना चाहिए।

घ) पी०डब्ल्यू०एस०सी० को चाहिए कि शेष धन को स्थायी या दीर्घावधि जमा में निवेश कर एक आरक्षित निधि तैयार करें। इस प्रकार निवेश किए गए धन का उपयोग केवल बड़ी मरम्मतों में ही किया जाना चाहिए। इसके लिए एक समुदायव्यापी बैठक (जिसकी न्यूनतम गणपूर्ति व्यापक आबादी का 50%हो जिसका 20% महिलाएं हो) में सम्पूर्ण गाव का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।

ड) ओ०एण्ड०एम० तथा बड़ी मरम्मतों के लिए सामग्रियों का कय एक कय समिति के माध्यम से किया जायेगा, जिसका गठन एक समुदाय व्यापी बैठक में किया जायेगा। कय समिति में वी0डब्ल्यू०एस०सी० और समुदाय के प्रतिनिधि लिए जा सकते है।

च) वर्ष में कम से कम एक बार समुदाय के समक्ष पावतियों और भुगतानों का विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

संचालन एवं रख–रखाव बजट बनाना

अ– योजना के संचालन एवं रख–रखाव में व्यय विवरण

क्रम स0	विवरण	सम्भावित व्यय (वार्षिक)
1	रख–रखाव कार्यकर्ता का मानदेय	
2	बिजली बिल	
3	क्लोरीनेशन	
4	जल गुणवत्ता परीक्षण शुल्क	
5	स्थानीय सामग्री कय करने पर व्यय	
6	मरम्मत कार्य पर व्यय	
7	अन्य व्यय	
	कुल संचालन एवं रख–रखाव व्यय	

ब– संचालन एवं रख–रखाव हेतु आय के सम्भावित स्रोत

क्रम स0	**विवरण**	ग्राम पंचायत के निर्णयनुसार
1	मासिक जल शुल्क	ग्राम पंचायत के निर्णयनुसार
2	दण्ड/देर से शुल्क जमा करने पर दण्ड	ग्राम पंचायत के निर्णयनुसार
3	नये कनेक्षनों परिवारों से सहयोग राशि	ग्राम पंचायत के निर्णयनुसार
4	व्यवसायिक कार्यों हेतु अतिरिक्त जल शुल्क	ग्राम पंचायत के निर्णयनुसार
5	ग्राम पंचायत का योगदान (15वें वित्त आयोग एवं अन्य मद)	
6	अन्य स्रोतों से प्राप्त	संचालन एवं रख–रखाव
7	कुल संचालन उपलब्ध होने वाली धनराशि	

शिकायत निवारण तंत्र– ग्राम पंचायत/समिति को उपभोक्ताओं की समस्याओं के निवारण हेतु एक शिकायत पंजिका रखनी चाहिये जिसमें उपभोक्ता अपनी विकायतो दर्ज कर सकें। प्राप्त शिकायतों का निवारण हेतु ग्राम पंचायत/समिति को यथासमय करना चाहिए तथा मासिक स्तर पर प्राप्त शिकायतों का व्योरा बैठक में भी प्रस्तुत करना चाहिए।